महत्वपूर्ण एवं खास

भूपेश बघेल के ओएसडी रहे अफसर की होगी गिरफ्तारी

रायपुर (आरएनएस)। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला मामले में अब पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे चेतन बोरघरिया को गिरफ्तार करने वाली है। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई ने सरकार से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, अब यह खबर निकल कर सामने आई है कि साय सरकार के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमति दे दी। दरअसल, पीएससी घोटाले मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरती वासनिक और चेतन बोरघरिया को भी आरोपी बनाया है। लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिलने के चलते दोनों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई थी। अब सरकारी अनुमति मिलने के बाद माना जा रहा है कि सीबीआई दोनों आरोपियों को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि वर्ष 2021-22 की परीक्षा अवधि के दौरान आरती वासनिक परीक्षा नियंत्रक थीं और ठीक उसी अवधि में चेतन बोरघरिया भूपेश बघेल के ओएसडी थे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई अब तक तत्कालीन पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर, उद्योगपति श्रवण गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल और भूमिका कटियार की गिरफ्तारी कर चुकी है।

आय से अधिक संपति मामला, सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट से वापस ली मामला

बिलासपुर (आरएनएस)। बिलासपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की चर्चित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने आय से अधिक संपत्ति के एक पुराने मामले में अपनी याचिका वापस ले ली है। यह मामला पहले ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जहां से उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। जमानत मिलने के बाद, इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वही आज, हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में चल रहे इस मामले की याचिका को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। सौम्या चौरसिया के खिलाफ कई मामले लंबित हैं, लेकिन यह मामला खासा चर्चित रहा है। याचिका वापस लेने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह घटना कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।

रायपुर में ट्रैफिक एएसआई का अवैध वसूली करते वीडियो वायरल, एसएसपी ने किया लाइन अटैच

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में एक ट्रैफिक ASI का अवैध वसूली करते हुए वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह रिंगरोड नंबर 3 पर अवैध वसूली का वीडियो है। जहां चेकिंग के नाम पर वसूली से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया है। कहा जा रहा है कि नागेंद्र सिंह का वीडियो है जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद SSP रायपुर ने आरोपी एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है।

महापौर के लिए 3 अभ्यर्थियों ने लिए नामांकन पत्र

- रायगढ़ नगरीय निकाय अंतर्गत विभिन्न वार्डों से पार्षद पद हेतु 30 अभ्यर्थियों ने लिए नामांकन पत्र

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में 22 जनवरी से नगरीय निकायों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिसके तहत आज दूसरे दिन 23 जनवरी को महापौर पद के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र लिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर पद हेतु वार्ड क्रमांक-3 से जेठूराम मनहर, वार्ड क्रमांक 38 से मुरारीलाल भट्ट तथा वार्ड क्रमांक 4 जगतपुर रायगढ़ से जानकी बाई काटजू ने नाम निर्देशन पत्र लिए। इसी तरह पार्षद पद हेतु नगरीय निकाय रायगढ़ अंतर्गत विभिन्न वार्डो से 30 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए गए।

नगर पालिका परिषद खरसिया में अध्यक्ष पद हेतु 2 तथा पार्षद पद हेतु 10 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र लिए। इसी तरह नगर पंचायत धरमजयगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए 2 एवं पार्षद पद के लिए 9, नगर पंचायत घरघोड़ा में पार्षद पद हेतु 8, नगर पंचायत पुसौर में अध्यक्ष पद के लिए 2 एवं पार्षद पद के लिए 1 अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए गए। नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर एवं लैलूंगा निरंक रहा।

25 जनवरी-शनिवार को भी किया जा सकेगा नामांकन

छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने जारी किया पत्र

नगरपालिकाओं/त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन 2025 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत 22 से 28 जनवरी तक नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को भी प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।

इस विषय पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव के द्वारा सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर अवगत कराया गया है कि नगरपालिकाओं/त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन 2025 कराये जाने हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) दिनांक 20 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की 15 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) की प्रति के अनुसार 25 जनवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। अतएव दिनांक 25 जनवरी 2025 को नाम-निर्देशन पत्र लेने की कार्यवाही की जाएगी।

ईव्हीएम प्रबंधन, रेण्डमाईजेशन तथा कमीशनिंग कार्य हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2024-25 के लिए ईव्हीएम के माध्यम से महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद पद का निर्वाचन कराया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में ईव्हीएम का प्रबंधन एवं रेण्डमाईजेशन तथा कमीशनिंग सहित समस्त कार्य हेतु डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ रेखा चन्द्रा को नोडल अधिकारी ईव्हीएम तथा राजस्व निरीक्षक नजूल रायगढ़ शास्त्री प्रधान को सहायक नोडल ईव्हीएम नियुक्त किया गया है।

मारपीट के फरार आरोपी को जूटमिल पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा रिमांड पर

रायगढ़

जूटमिल पुलिस ने आज मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी दीपक सारथी (22 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आरोपी दीपक सारथी सराईभद्दर वार्ड नंबर 34 का निवासी है, जिसने बीते 01 नवंबर को मोहल्ले में हुए विवाद के दौरान गाली-गलौच और चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया था।

रिपोर्टकर्ता ने पवन अनिल (38 वर्ष) बताया कि 01 नवंबर की सुबह मोहल्ले में दीपक सारथी शराब के नशे में मन्नू सोनी के साथ झगड़ा कर रहा था। विवाद शांत कराया और दीपक को समझा-बुझाकर उसके घर तक छोड़ा। इस दौरान दीपक ने गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और घर से सब्जी काटने वाला चाकू लाकर हमला कर दिया। इस हमले में पवन के हाथ, कोहनी और बाईं पसली पर चोटें आईं। घटना के बाद पवन अनिल ने जूटमिल थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर अपराध क्रमांक 454/2024 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस भी जोड़ी। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी दीपक सारथी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। आरोपी को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। जूटमिल पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रायगढ़ में सड़क सुरक्षा की पहल : स्वास्थ्य शिविर और यातायात जागरूकता अभियान का सफल आयोजन

- एनएच पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर का हाईवे के वाहन चालकों ने उठाया भरपूर लाभ

रायगढ़

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रायगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता को लेकर एक विशेष पहल की गई। एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन और एडिशनल एसपी आकाश मरकाम तथा ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में रायगढ़ यातायात पुलिस ने ग्राम जोरापाली स्थित एनएच-49 पर वाहन चालकों के लिए नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग रायगढ़, प्रतिष्ठित संस्थाएं ओ.पी. फोर्टिस जिंदल हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, सिद्धेश्वर हॉस्पिटल, रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर, टाइटन वन प्लस एवं एनएसएस के वालंटियर्स ने सहयोग प्रदान किया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य भारी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करना था। शिविर में 374 से अधिक वाहन चालकों ने भाग लिया। इस दौरान चालकों को स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र जांच, और यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

सभी वाहन चालकों का ब्लड प्रेशर, सामान्य स्वास्थ्य और नेत्र जांच की गई। जिन चालकों को चश्मे की आवश्यकता पाई गई, उन्हें रोटरी क्लब द्वारा निशुल्क चश्मा वितरित किया गया। परीक्षण के बाद, जरूरतमंद चालकों को दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श दिए गए।

एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह और टीआई अनुरंजन लकड़ा ने चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर सतर्कता बरतने के महत्व पर मार्गदर्शन दिया।

इस आयोजन ने न केवल वाहन चालकों को उनके स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण का लाभ प्रदान किया, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व से भी अवगत कराया। यह पहल रायगढ़ जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में विशेष प्रयास है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सभी नागरिकों को सड़क पर जिम्मेदारी और सतर्कता से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना है।

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए स्थापित किया गया कंट्रोल रूम

- 07762-223750 में कॉल कर दर्ज करा सकते हैं शिकायतें
- सभी निकायों के लिए गठित की गई है आदर्श आचार संहिता समिति
- नगरीय निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर और आदर्श आचार संहिता समिति से भी कर सकते हैं शिकायत
- सोशल मीडिया पर रहेगी नजर, अपुष्ट जानकारी और अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही

रायगढ़

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024.25 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय 24&7 कंट्रोल रूम कार्यालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 19 में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष 07762-223750 है। नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम संबंधित सुझाव एवं शिकायतें उक्त दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराया जा सकता है।

इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है। इसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में संबन्धित नगरीय निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ही आदर्श आचार संहिता समिति के अध्यक्ष से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आदर्श संहिता पालन के लिए प्रत्येक निकाय के लिए गठित है समिति

आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए एम.सी.सी.(मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) समिति का गठन किया है। रायगढ़ के लिए गठित एमसीसी समिति में नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम बृजेश कुमार क्षत्रिय को अध्यक्ष बनाया गया है। नगर पालिका खरसिया के लिए एसडीएम डॉ प्रियंका वर्मा, नगर पंचायत घरघोड़ा के लिए एसडीएम रमेश कुमार मोर, नगर पंचायत धरमजयगढ़ के लिए एसडीएम धनराज मरकाम, नगर पंचायत लैलूंगा के लिए एसडीएम अक्षा गुप्ता, नगर पंचायत पुसौर और नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के लिए एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी को आदर्श आचार संहिता समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उक्त क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ये हैं रिटर्निंग ऑफिसर

रायगढ़ नगर निगम के लिए अपर कलेक्टर रवि राही रिटर्निंग ऑफिसर हैं। खरसिया नगर पालिका के लिए एसडीएम डॉ प्रियंका वर्मा, धरमजयगढ़ नगर पंचायत के लिए एसडीएम धनराज मरकाम, घरघोड़ा नगर पंचायत के लिए एसडीएम रमेश कुमार मोर, नगर पंचायत लैलूंगा के लिए एसडीएम अक्षा गुप्ता, नगर पंचायत पुसौर के लिए तहसीलदार नेहा उपाध्याय और नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के लिए अतिरिक्त तहसीलदार हितेश साहू रिटर्निंग ऑफिसर हैं।

सोशल मीडिया पर होगी कड़ी नजर, अफवाह फैलाने पर होगी कानूनी कार्यवाही

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों पर एमसीएमसी समिति की कड़ी नजर होगी। सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी, फेक न्यूज या अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पुसौर में विशेष टीम ने की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 75 पाउच मयुर छाप महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना पुसौर के अंतर्गत ग्राम लोहाखान में एसपी रायगढ़ द्वारा गठित विशेष टीम ने निरीक्षक नाशीर खान की अगुवाई में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। पुलिस टीम ने आरोपी निरंजन विश्वाल के घर आंगन में मयुर छाप अवैध महुआ शराब के 75 पाउच बरामद किए। आरोपी निरंजन विश्वाल (26 वर्ष) निवासी ग्राम लोहाखान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना पुसौर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस शराब रेड में निरीक्षक नाशीर खान, प्रधान आरक्षक योगेश उपाध्याय आरक्षक सुरेश सिदार (सायबर सेल), विजय कुशवाहा, कीर्तन यादव और आबकारी प्रधान आरक्षक कंवर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस टीम की तत्परता और सख्ती ने अवैध शराब के कारोबार को बेनकाब किया। विशेष टीम की यह कार्रवाई सभी थानाक्षेत्रों में जारी है।

25 जनवरी-राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल राज्य स्तर पर होंगे सम्मानित

- भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जिले में कुशल निर्वाचन संचालन के लिए मिलेगा सम्मान

रायगढ़

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर रायगढ़ जिले में निर्वाचन के कुशल संचालन के लिए मिलेगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के सभागार में 25 जनवरी को प्रात: 11 बजे से सम्मान समारोह आयोजित है।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में संचालित मतदाता जागरूकता और इलेक्शन मैनेजमेंट कार्यक्रमों का परिणाम रहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 में रायगढ़ जिले में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। रायगढ़ जिला मतदान प्रतिशत के मामले में पूरे प्रदेश में शीर्ष में रहा। जिलों के आंकड़ों को देखें रायगढ़ जिले में 81.60 प्रतिशत मतदान हुआ। जो प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक है। पिछले बार से यह 2.14 प्रतिशत अधिक है। वहीं पूरे लोकसभा के लिहाज से देखें तो रायगढ़ लोकसभा में 78.85 प्रतिशत मतदान हुआ जो प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

टॉप 5 वोटिंग प्रतिशत वाले विधानसभा में रायगढ़ के तीन विधानसभा रहे शामिल

पूरे छत्तीसगढ़ के टॉप मतदान प्रतिशत वाले विधानसभा की लिस्ट में पहले स्थान पर रायगढ़ का धरमजयगढ़ और दूसरे स्थान पर लैलूंगा विधानसभा रहा। धरमजयगढ़ में 84.61 प्रतिशत वोटिंग हुई और लैलूंगा में 84.26 प्रतिशत मतदान हुआ। खरसिया में 83.56 प्रतिशत वोटिंग हुई, सूची में खरसिया चौथे स्थान पर रहा। पिछले लोकसभा में रायगढ़ जिले में 79.46 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से रायगढ़ जिले में इस बार 2.14 फीसदी वोटिंग ज्यादा हुई। सभी विधानसभाओं में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है।

माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस कर हासिल हुई बड़ी उपलब्धि

बड़ी कार्ययोजना के सफल होने में माइक्रो मैनेजमेंट का बड़ा हाथ होता है। इसी माइक्रो मैनेजमेंट ने रायगढ़ में मतदान को लेकर एक नई इबारत लिखी गई। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में पूरे प्रशासनिक अमले ने जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। सीईओ जिला पंचायत व स्वीप नोडल जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, जिसका परिणाम रहा कि जिले में पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में 2.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

कंट्रोल रूम में अधिकारियों ने सुबह 05 बजे से संभाल रखा था मोर्चा, मतदान समाप्ति तक चलती रही मॉनिटरिंग

पूरे मतदान प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वेबकास्टिंग से मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था। सुबह 05 बजे से ही यहां कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने मोर्चा संभाल लिया। यहां से पूरे दिन भर जिले में मतदान को लेकर मॉनिटरिंग की गई। हर एक मतदान केंद्र को फोकस किया गया। जहां समस्याएं आई तत्काल उनका निराकरण किया गया। रियल टाइम में फील्ड से जानकारी लेकर उसके समाधान के लिए सेक्टर ऑफिसर्स को निर्देशित किया गया। सुबह 05 बजे से देर शाम मतदान समाप्ति तक सभी अधिकारी फील्ड के साथ कंट्रोल रूम से मतदान की निगरानी करते रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480